न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थितः सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1196 सन 2026

(CNR No. UPFT–010031092026)

1– पवन सिंह उर्फ सदन पुत्र नवल किशोर,

2– शैलेन्द्र सिंह उर्फ वीरू पुत्र नवल किशोर,

3– मदन उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र नवल किशोर,

4– धीरेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र नवल किशोर,

5– योगेन्द्र उर्फ बादी पुत्र नवल किशोर,

6– नवल किशोर पुत्र रामेश्वर,

निवासीगण ग्राम धरमंगतपुर (धरमंगदपुर), नरवा थाना खागा जनपद फतेहपुर।

.... आवेदक/अभियुक्तगण

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.... अभियोजक

अपराध संख्याः 140 सन 2026

धाराः 103(1),191(2),191(3) व 190,352,351(3) भारतीय न्याय संहिता

थानाः खागा, जनपद फतेहपुर।

17.07.2026 :

आवेदक/अभियुक्तगण पवन सिंह उर्फ सदन, शैलेन्द्र सिंह उर्फ वीरू, मदन उर्फ भूपेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र उर्फ छोटू, योगेन्द्र उर्फ बादी व नवल किशोर की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 140 सन 2026 अन्तर्गत धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना खागा जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से रामबाबू द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है,

अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रमा देवी ने दिनांक 10.05.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 09.05.2026 समय लगभग 06:50 बजे उसके पति फूल सिंह सातो नरैनी की बाजार करके मोटरसाइकिल से घर वापस आ रहे थे तथा उसका पुत्र अमन कुमार खेतों से कुछ दूर आ रहा था, उसके देवर जय सिंह के जमीन विक्रय के पैसे का लेनदेन व पैसा न मिलने पर एवं दाखिल खारिज न्यायालय में रोकने के सम्बन्ध में गांव के पश्चिम दिशा में थोड़ा पहले सातो धरमंगदपुर नरवा के लिंक मार्ग पर मुल्जिमान के खेतों के पास गांव के किनारे गांव के ही योगेन्द्र सिंह उर्फ बड़ी, धीरेन्द्र सिंह उर्फ छोटू, शैलेन्द्र सिंह उर्फ बीरू, भूपेन्द्र सिंह उर्फ मदन, पवन सिंह उर्फ सदन, नवल किशोर सहित सभी लोग एक राय होकर उसके पति के ऊपर एकबारगी गाली गलौज करते हुए लाठी डण्डों से मारे पीटे तभी नवल किशोर अवैध असलहे से उनके शरीर पर गोली चला दी जिसकी आवाज सुनकर साइकिल से जा रहे मृतक के पुत्र उक्त के शोर मचाने पर व गोली की आवाज सुनकर गांव के ही नरेन्द्र, रामबाबू एवं अन्य तमाम लोग एवं वह दौडकर ललकारे एवं मौके पर गये तब मुल्जिमान उसके पति को गोली मारकर भाग निकले। वह एवं गांव के लोग घटना देखा व सुना। देखने पर पता चला कि उसके पति मुल्जिमान के गोली मारने से मरे पड़े हुए है तथा इस घटना के तीन दिन पूर्व उसके देवर जय सिंह को मारापीटा था जिसकी शिकायती पत्र पर दिनांक 08.05.2026 को थाना खागा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण विद्वान के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादिनी मुकदमा के विद्वान निजी अधिवक्ता की बहस सुना तथा केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हें इस मामले में चुनावी रंजिश के कारण साजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सलाह मशविरा करके विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदकगण के कब्जे से किसी नाजायज असलहे की बरामदगी नहीं की गयी है और मृतक के शव विच्छेदन में फायर आर्म्स की कोई चोट नहीं पायी गयी। शव विच्छेदन आख्या में मृतक को धारदार हथियार से चोट पहुंचाना बताया गया है किन्तु आवेदकगण के कब्जे से कोई धारदार हथियार बरामद नहीं किया गया है। आवेदकगण को घटना में सम्मिलित होते किसी ने नहीं देखा और नही प्राथमिकी में बताया गया है। पुलिस ने आवेदकगण को घर से ले जाकर कई दिन

बाद वादिनी के प्रभाव में झूंठा फंसाया है। घटना के सभी साक्षीगण मृतक व वादिनी के निकट सम्बन्धी है। प्राथमिकी व मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास है। कथित घटना वाले दिन आवेदकगण मैहर दर्शन करने गये थे। प्राथमिकी में मृतक को गोली लगना बताया गया है किन्तु मृतक के शरीर पर गोली लगना चिकित्सक द्वारा नहीं बताया गया है। साक्षीगण के बयान, मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादिनी या किसी साक्षी ने घटना होते नहीं देखा। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदकगण दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्तगण सहित सह अभियुक्तगण ने वादिनी के पति फूल सिंह की लाठी डण्डों से मारपीट कर हत्या कारित किया है। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण पवन सिंह उर्फ सदन, शैलेन्द्र सिंह उर्फ वीरू, मदन उर्फ भूपेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह उर्फ छोटू, योगेन्द्र सिंह उर्फ बाड़ी व नवल किशोर को सह अभियुक्त अर्जुन के साथ गिरफ्तार किया गया और आवेदक/अभियुक्तगण पवन सिंह उर्फ सदन, शैलेन्द्र सिंह उर्फ वीरू, मदन उर्फ भूपेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह उर्फ छोटू, योगेन्द्र सिंह उर्फ बाड़ी व नकल किशोर की निशानदेही पर आलाकत्ल लोहे के दो पाइप, लाठी व डण्डा एवं सह अभियुक्त अर्जुन के निशानदेही पर आलाकत्ल लाठी की बरामदगी की गयी और विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्तगण सहित सह अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आवेदक/अभियुक्तगण सहित सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र तैयार किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्तगण पवन सिंह उर्फ सदन, मदन उर्फ भूपेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र उर्फ छोटू, योगेन्द्र उर्फ बादी व नवल किशोर का प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है जो निम्नवत् है–

<u>अभियुक्त पवन सिंह उर्फ सदन का आपराधिक इतिहास–</u>

1. मुकदमा अपराध संख्या 221 सन 2020 धारा 323, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
2. मुकदमा अपराध संख्या 391 सन 2023 धारा 323, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
3. मुकदमा अपराध संख्या 133 सन 2026 धारा 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना खागा, फतेहपुर।

<u>अभियुक्त मदन उर्फ भूपेन्द्र सिंह का आपराधिक इतिहास–</u>

1. मुकदमा अपराध संख्या 170 सन 2020 धारा 323, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
2. मुकदमा अपराध संख्या 221 सन 2020 धारा 323, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
3. मुकदमा अपराध संख्या 297 सन 2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना थरियांव, फतेहपुर।
4. मुकदमा अपराध संख्या 391 सन 2023 धारा 323, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
5. मुकदमा अपराध संख्या 133 सन 2026 धारा 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना खागा, फतेहपुर।

अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास–

1. मुकदमा अपराध संख्या 221 सन 2020 धारा 323, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।

अभियुक्त योगेश सिंह उर्फ बाडी का आपराधिक इतिहास–

1. मुकदमा अपराध संख्या 170 सन 2020 धारा 323, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
2. मुकदमा अपराध संख्या 298 सन 2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना थरियांव, फतेहपुर।
3. मुकदमा अपराध संख्या 391 सन 2023 धारा 323, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
4. मुकदमा अपराध संख्या 133 सन 2026 धारा 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना खागा, फतेहपुर।

अभियुक्त नवल किशोर का आपराधिक इतिहास–

1. मुकदमा अपराध संख्या 170 सन 2020 धारा 323, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
2. मुकदमा अपराध संख्या 221 सन 2020 धारा 323, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
3. मुकदमा अपराध संख्या 391 सन 2023 धारा 323, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना खागा, फतेहपुर।
4. मुकदमा अपराध संख्या 133 सन 2026 धारा 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना खागा, फतेहपुर।

सह अभियुक्तगण अर्जुन, राहुल कुमार व विक्रम उर्फ मुकेश कुमार की जमानतें माननीय सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है और आवेदक/

अभियुक्तगण का मामला उनसे अधिक गम्भीर है। आवेदक/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी के पति फूल सिंह की हत्या कारित किया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियोजन प्रपत्रों/शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतक फूल सिंह की शव विच्छेदन आख्या में उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व की 24 चोटें दर्शायी गयी है जो निम्नलिखित है –

1. Periorbital ecchymosis around right eye.
2. Contused swelling of size 10cm X 8cm present over the right cheek.
3. Multiple abraded contusion with swelling of variable shape and size present over right upper extremity.
4. Stab wound of size 2cm X 1.5cm X 2cm present over the right arm 9cm above the elbow joint, muscle deep, sharp cut margins.
5. Stab wound of size 1cm X 0.5cm X 1cm present over the right arm 9cm above the elbow joint and parallel to injury number 4, muscle deep, sharp cut margins.
6. Multiple L.W. of variable shape and size 4cm X 2cm, 3cm X 1cm present right hand middle and index finger and 3cm X 1cm present over the right hand palmar aspect between thumb and index finger with underlying second metacarpal bone fractured, margin irregular, tissue bridging present.
7. An abraded Contusion of size 21cm X 3cm present over the anterior abdominal wall transversely placed between and over the both costal margin along with spigastric region, bluish black in colour.
8. An abraded Contusion of size 40cm X 2.5cm obliquely placed over the anterior abdominal wall, linear, bluish black in colour.
9. Contused swelling of size 6cm X 6cm present over the right pelvic region at the level of ASIS, bluish black in colour.
10. Contusion of size 56cm X 12cm present over the anterolateral aspect of right thigh and buttok.
11. Multiple abraded contusion of size 8cm X 6cm present over the anterior aspect of right leg, 7cm below knee joint with underlying bone fracture.
12. L.W. of size 5cm X 3cm present over the anterior aspect of right leg, irregular margin, bone deep.
13. L.W. of size 3cm X 2cm present over the anterior aspect of right leg, 10cm above ankle joint, irregular margin, muscle deep.
14. Contusion of size 9cm X 6cm present over the anterior aspect of right ankle joint with underlying bone fracture, bluish black in colour.

15. Multiple L.W. of size 9cm X 6cm present over the anterior left leg, 3cm below from knee joint with underlying bone fractured and exposed, irregular margin, tissue bridging present.
16. Multiple abrasion of size 8cm X 6cm present over the anterior aspect of left knee joint.
17. Multiple abraded contusion of variable shape and size present over the left buttok region and area of size 20cm X 12cm, some are circular and some are linear in shape, bluish black in colour.
18. Multiple abraded contusion of variable shape and size present over the whole back region.
19. Multiple abraded contusion of variable shape and size present over the left upper extremity, from left shoulder joint to the tip of fingers.
20. L.W. of size 4.5cm X 2.5cm present between the ring and little finger.
21. One teeth bite mark present over the lower lip.
22. Contusion of size 6cm X 7cm present over the mid occipital region.
23. Contusion of size 3cm X 2cm present over the right temporal region.
24. Multiple abraded contusion of variable shape and size present over the anterior chest wall with BL multiple ribs fractured, bluish black in colour.

शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतक का कारण मृत्यु पूर्व चोटों से उत्पन्न सदमा व रक्तस्राव (Cause of death is Shock and hemorrhage as a result of ante mortem injuries) से होना दर्शित किया गया है।

अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार साक्षी रमा देवी एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अमन आदि ने विवेचक को दिये गये बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की अभिकथित अपराध में संलिप्तता बतायी है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पवन सिंह उर्फ सदन, शैलेन्द्र सिंह उर्फ वीरू, मदन उर्फ भूपेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह उर्फ छोटू, योगेन्द्र सिंह उर्फ बाड़ी व नवल किशोर को सह अभियुक्त अर्जुन के साथ गिरफ्तार किया गया और आवेदक/अभियुक्तगण की निशानदेही पर आलाकत्ल लोहे के पाइप, लाठी व डण्डा आदि तथा सह अभियुक्त अर्जुन के निशानदेही पर आलाकत्ल लाठी की बरामदगी की गयी तथा सह अभियुक्तगण राहुल कुमार व विक्रम उर्फ मुकेश कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर आलाकत्ल एक–एक बांस का डण्डा बरामद किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आवेदक/अभियुक्तगण सहित सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र तैयार किया जा चुका है। अभियोजन पक्ष

द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास होना भी बताया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण पवन सिंह उर्फ सदन, शैलेन्द्र सिंह उर्फ वीरू, मदन उर्फ भूपेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र उर्फ छोटू, योगेन्द्र उर्फ बादी व नवल किशोर की ओर से अपराध उपरोक्त में प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 17.07.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.07.17 16:17:45 +05'30'